निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 65/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अर्जुन मीणा पुत्र श्री रामनिवास मीणा निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गौरी शंकर आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर ।
2. शंकर मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार फागी जिला जयपुर ।
4. सब रजिस्ट्रार फागी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2020 व टी आई 20/2020 ब उनवानी अर्जुन बनाम शंकर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हरीनारायण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 23/2020 व टी आई संख्या 20/2020 ब उनवानी अर्जुन बनाम शंकर व अन्य विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आदेश 7 नियम 1 के प्रार्थना पत्र पर बहस होना एवं उसका निस्तारण किया जाना शेष है, परन्तु वर्तमान पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में अत्यधिक निजी रूचि ले रहे है तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही तथा बिना बहस सुने ही प्रकरण को खारिज करने पर आमाद है। इस बाबत प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पीठासीन अधिकारी से अनुरोध भी किया, परन्तु पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी शंकर मीणा के अत्यधिक अनुचित प्रभाव में होने से प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण अवैद्य तरीके से करने पर आमादा है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्व है। विगत पेशी दिनांक 25.08.2020 को भी प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध पीठासीन अधिकारी से करने पर पीठासीन अधिकारी नाराज हो गये तथा बिना बहस सुने ही एवं प्रार्थना पत्र लम्बित रहते हुए ही ओपन कोर्ट में कह दिया कि यह दावा तो मै खारिज करूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त कथन खुले न्यायालय परिसर में सुन कर प्रार्थी आश्चर्य चकित रह गया। अत्यधिक चिन्ता मे आ गया

जिला कलक्टर
जयपुर

कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के अत्यधिक अनुचित प्रभाव में है तथा पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रीज्यूडिश है । इस स्थिति में प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री गौरी शंकर शर्मा से उक्त प्रकरण के निष्पक्ष निस्तारण की कतई आशा नही है, बल्कि प्रार्थी को पूर्ण आशांका है कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण में प्रीज्यूडिश हो कर पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रकरण को खारिज करेंगे जो कि अवैद्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करना तथा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही वाद खारिज करने बाबत एलानिया घोषणा खुले न्यायालय मे करना, उनके उक्त प्रकरण बाबत प्रीज्यूडिश होने के तथ्य को प्रमाणित करता है। प्रार्थी वर्तमान पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कतई आशा नहीं बची है बल्कि प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण में वादी का पक्ष ले कर अनुचति आधार पर एवं अवैद्य तरीके से बिना प्रकिया अपनाये एवं बिना प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किये ही प्रकरण का निस्तारण कर देंगे जिसका अनुचित लाभ उठा कर वादी मिन प्रतिवादी के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करके बेदखल करने का अनुचित प्रयास करेगा, जिससे अकारण प्रार्थी को अपील में जाने को विवश होना पडेगा और अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी बढेगी । प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्यायपूर्ण निस्तारण की कतई आशा अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान पीठासीन अधिकारी से नहीं रही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्वपि उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी मे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दु झूंठे, मनगढन्त, कपोल कल्पित एवं आधारहीन बताये है, किन्तु चूकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फागी मुख्यालय सहायक कलक्टर फागी का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2020 व टी आई संख्या 20/20 ब उनवानी अर्जुन बनाम शंकर व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में मुन्तकिल किया जाता है।

6. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.01.2021 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर फागी प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी फागी व सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक **14.12.2020** को सरे इजलास सुनाया गया ।

14/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर